रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 5 सितम्बर, 2008 / 14 भाद्रपद, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 2 सितम्बर, 2008

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ0–(5) 33 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव रचौली, तहसील रामपुर, जिला शिमला में निर्माणाधीन बस स्टैण्ड के लिए अपरोच सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा. 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन सर्माहता, लोक निर्माण विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
शिमला	रामपुर	रचौली	1136 / 58	0–21–02
			57	0–00–52
			69	0–05–78
			40	0–02–70
			54	0–01–24
			55	0–03–06
			32	0–00–66
			33	0–51–55
			1269 / 53	0–30–53
			1268 / 53	0–01–50
			1270 / 53	0–01–50
			1271 / 53	0–01–50
			1272 / 53	0–01–44
			1273 / 53	0–01–50
			1274 / 53	0–01–50
			1275 / 53	0–01–50
			1276 / 53	0–14–31
			56	0–01–87
			1134 / 58	0–01–89
			1135 / 58	0–02–09
			47	0–06–59
			51	0–05–44
			38	0–15–11
			39	0–01–52
			70	0–11–87
			37	0–04–44
			52	0–05–04
			1138 / 79	0–36–30
			89	0–20–31
		कुल	किता–29	2–54–28

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव।

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 5*th September*, 2008

No.TSM-A (4)-1/2008.—In supersession of all previous notifications issued in this behalf and in exercise of the powers vested in him under Chapter-III, Section 17 of Himachal Pradesh Tourism Development & Registration Act,2002 (Act No.15 of 2002), Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-constitute Tourism Development Council, Manali, Distt. Kullu Himachal Pradesh for the purpose of this Act for a period of two years with immediate effect consisting of the following:—

1. Official Members:

(i)	Deputy Commissioner, Kullu (HP)	Chairman
(ii)	Addl.Deputy Commissiner, Kulllu and in his absence, Sub Divisional Officer (Civil), Manali.	Vice Chairman
(iii)	Divisional Forest Officer, Kullu	Member
(iv)	Executive Engineer (HPPWD), Kullu	Member
(v)	Executive Engineer (I&PH),	Member
(vi)	Secretary, Nagar Panchayat, Manali	Member
(vii)	Town Planner, Kullu, Distt. Kullu.	Member,
(viii)	Distt. Tourism Development Officer, Kullu (HP),	Ex-Officio-Member Secretary.

2. Non Official Members:

1. Tek Ram Thakur,Pradhan, Hotel Association, Manali, Distt. Kullu.
2. Shri Dalip Thakur,Pradhan,Him Anchal Taxi Union, Manali, Distt. Kullu.
3. Smt. Pushpa Talwar, Councillor, Nagar Panchayat, Manali, District Kullu.
4. Shri Ses Ram Thakur, Dragon Tours & Travels, Manali, Distt. Kullu.
5. Shri Roshan Thakur, President, Indian Paragliding Association, Solang(Manali), Distt. Kullu.
6. Shri Mehar Chand Negi, Pradhan, Gram Panchayat, Shaleen,Tehsil Manali, District Kullu.
7. Shri Amar Singh, Pradhan, Beopar Mandal, Manali, Distt. Kullu.
8. Shri Ludar Chand Thakur,Village Kanyal,P.O. Chhiyal,Tehsil Manali, Distt. Kullu.
9. Shri Chhavinder Thakur,Village Kanyal,P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, District Kullu.

Apart from the functions provided in the Act, the Council shall also-look after the collection of entry fee from the Vehicles bearing registration numbers other than the State of Himachal Pradesh.

3. The non official members shall be paid such allowances as may be notified by the Government from time to time.

By order,
MANISHA NANDA
Secretary.

वहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

31—07—2008

संख्याः विद्युत—छ—(5)—9 / 2007.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि कि नैशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा—3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत एक केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः फाटी मन्यासी व दुसाहड़ कोठी वनोगी, उप तहसील सैंज, जिला कुल्लू हि0 प्र0 में पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण—III (सैंज वाई पास रोड़ आर0डी0 2495 मी0 से 3028 मी0) हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू—अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा—4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा—17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा—5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू—अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारजी, जिला कुल्लू हि0 प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	उप तहसील	फाटी	कोठी	खसरा नम्बर	रकवा (बीघों में)
कुल्लू	सैंज	मन्यासी	वनोगी	1869 / 22 / 2 / 1	01—03—08
				1868 / 22 / 1 / 1	01—01—12
				कुल रकबा — 02—05—00 बीघा	

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / —
प्रधान सचिव ।

ब अदालत श्री मान सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग सुनी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

वाद संख्या : 2/xiii-A-1/08

तारीख मरजुआ : 4-6-08

श्री राकेश बनाम आम जना दरख्वास्त बराये दरुस्ती नाम

बनाम

आम जनता

हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री राकेश पुत्र श्री चन्द्र दास, निवासी सन्दोआ, परगणा सराज, तहसील सुनी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि उनका नाम राजस्व रिकार्ड में केशू दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र में नाम राकेश दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना'–पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस प्रार्थना–पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 22–9–2008 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21–8–2008 को जारी हुआ।

मोहर।

मान सिंह,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग सुनी,
जिला शिमला (हि0 प्र0)।

————

ब अदालत श्री राज सिंह गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री रतन सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम कोटी, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रतन सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम कोटी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र दिया है कि उसके पुत्र सुरेन्द्र का जन्म तिथि 10–11–2003 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कोटी–बौंच के पंचायती अभिलेख में उसका नाम व जन्म तिथि दर्ज नहीं है। प्रार्थी इसे ग्राम पंचायत कोटी–बौंच के पंचायती रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अपने उजर या एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना–पत्र उपरोक्त पर अगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 20–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज सिंह गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री राज सिंह गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री छज्जू राम पुत्र श्री हुक्मी राम, ग्राम झबाडी, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री छज्जू राम पुत्र श्री हुक्मी राम, ग्राम झबाडी ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सुभाष का जन्म तिथि 18–5–2008 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत अजरोली के पंचायती रिकार्ड में उसका नाम व जन्म तिथि दर्ज नहीं है प्रार्थी इसे ग्राम पंचायत अजरोली के पंचायती रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अपने उजर या एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना–पत्र उपरोक्त पर अगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 20–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज सिंह गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री राज सिंह गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री पनीया राम, ग्राम झकाण्डो, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराए दरुस्ती बारे।

श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री पनीया राम, ग्राम झकाण्डो ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना–पत्र दिया है की श्रीमती सुरतो देवी उसकी हकीकी पत्नी व दिनेश हकीकी पुत्र है, परन्तु ग्राम पंचायत झकाण्डो के पंचायती रिकार्ड में उक्त सदस्य उसके भाई श्री मोहर सिंह पुत्र नानडू ग्राम झकाण्डो के नाम दर्ज है, जो कि गलत है, तथा श्रीमती उमा देवी श्री मोहर सिंह की हकीकी पत्नी व अजब सिंह हकीकी पुत्र है, परन्तु ग्राम पंचायत झकाण्डो के रिकार्ड उक्त सदस्य प्रार्थी के नाम दर्ज है, जो कि गलत है, प्रार्थी इस गलती को दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–9–2008 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अपने उजर या एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना–पत्र उपरोक्त पर अगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 20–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज सिंह गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

———

In the Court of Shri K. K. Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan (H. P.)

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
9/2008	6-6-2008	Pending for 16-9-2008

Shri Pawan Kumar son of Shri Roshan Lal, resident of Mauza Banasar, P. O. Naya Gram, Pargana Nalidharthi, Tehsil Kasauli, District Solan (H. P.) . . *Applicant.*

Vs.

General public . . *Respondent.*

APPLICATION UNDER SECTION 13 (3) BIRTH & DEATH REGISTRATION ACT, 1969

Shri Pawan Kumar son of Shri Roshan Lal, resident of Mauza Banasar, P. O. Naya Gram, Pargana Nalidharthi, Tehsil Kasauli, District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits of himself and other documents stating therein that his daughter Kumari Priyanka Devi was horn on 23-3-2003 at his residence situated at Mauza Bansar, Tehsil Kasauli, District Solan (H. P.) but her date of birth coul not be registered by the applicant in Gram Panchayat's birth record, Banasar, Tehsil Kasauli.

2. Therefore, by this proclamation the general public is hereby directed that any person having any objection for the registration of date of birth of Kumari Priyanka Devi daughter of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 16-9-2008 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under any hand and seal of the court this 22nd day of July, 2008.

Seal.

K. K. SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).

In the Court of Shri K. K. Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan (H. P.)

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
11/2008	20-8-2008	Pending for 3-10-2008

Shri Vinod Kumar Sharma son of Shri Amar Nath, resident of House No. B-1, Block No. 4, Sector 1, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan (H. P.) *Applicant.*

Vs.

General public . . *Respondent.*

APPLICATION UNDER SECTION 13 (3) BIRTH & DEATH REGISTRATION ACT, 1969

Shri Shri Vinod Kumar Sharma son of Shri Amar Nath, resident of House No. B-1, Block No. 4, Sector 1, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith on affidavit of himself and other documents, stating therein that his son Shri Archit Sharma who was born on 5-3-1990 at Pamposh Nursing Home, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan (H. P.) but his date of birth could not be registered by the applicant in Municipal Council's birth record, Parwanoo, Tehsil Kasauli.

2. Therefore, by this proclamation the general public is hereby directed that any person having any objection for the registration of date of birth of Shri Archit Sharma son of of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 3-10-2008 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under any hand and seal of the court this 20th day of August, 2008.

Seal.

K. K. SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).

ब अदालत श्री संतोष कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ज्वाला जी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा : अशोक कुमार

बनाम

समस्त आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अशोक कुमार ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री टीना का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। इसकी पुत्री की जन्म तिथि 31–1–2003 तथा बच्चे का जन्म सिल्ह गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 19–11–2008 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 25–8–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। संतोष कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ज्वाला जी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

Yashpal Tondon son of Shri Piare Lal, Darang, P.O. & Tehsil Jawalamukhi (Kangra) H. P.

बनाम

समस्त आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम जनता।

श्री Yashpal Tondon ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि इसके पुत्र Tarun Tondon का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। इसके पुत्र की जन्म तिथि 31–10–1990 तथा बच्चे का जन्म Darang गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 9–10–2008 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 28–8–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी ज्वालामुखी,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी 18–10–2008

प्रयागराज

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्रयागराज पुत्र श्री वदरी प्रसाद, निवासी महाल आईमा, मौजा आईमा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र दिया है कि उसकी लड़की पूजा व्यास का जन्म दिनांक 8–4–1978 को हुआ है। मगर ग्राम पंचायत आईमा के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18–10–2008 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा पूजा व्यास पुत्री प्रयाग राजकी जन्म तिथि 8–4–1978 पंजीकरण आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जायें।

आज दिनांक 27–8–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मनोज कुमार,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री वी0 एस0 ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी 15–10–2008

संजय वर्मा

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री संजय वर्मा पुत्र श्री जय सिंह, निवासी महाल आईमा, मौजा आईमा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र दिया है कि उसके लड़के आदित्य का जन्म दिनांक 11–6–2005 को हुआ है। मगर ग्राम पंचायत आईमा के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक.....को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आदित्य पुत्र श्री संजय वर्मा की जन्म तिथि 11–6–2005 पंजीकरण आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जायें।

आज दिनांक 22–8–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वी0 एस0 ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री Liyakat Ali

बनाम

G.P.

विषय.– प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री लियाकत अली पुत्र श्री Phiru Mohammad, निवासी सिदपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र मनजीत मोहम्मद की जन्म तिथि 10–1–2001 है परन्तु ग्राम पंचायत सिदपुर में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे मनजीत मोहम्मद की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो

वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3–10–2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19–8–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जे0 आर0 शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती लक्ष्मी देवी

बनाम

आम जनता।

विषय.– प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री मदन लाल, निवासी फतेहपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री आकृति की जन्म तिथि 1–11–2003 है परन्तु ग्राम पंचायत सिद्वपुर में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे आकृति की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3–10–2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19–8–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जे0 आर0 शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड–भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0	तारीख मरजुआ	तारीख पेशी
9	29–7–2008	22–9–2008

उनवान मुकद्दमा :

श्री प्रकाश चन्द सुपुत्र श्री कालू, निवासी माकन खुर्द, तहसील लड–भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बाबत महाल माकन खुर्द के अभिलेख में नाम दरुस्ती करवाने बारा।

प्रकाश चन्द सुपुत्र श्री कालू, निवासी माकन खुर्द, तहसील लड–भडोल, जिला मण्डी ने एक आवेदन–पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका वास्तविक नाम प्रकाश चन्द है जो उसके ग्राम पंचायत अभिलेख में भी दर्ज है। परन्तु उसका नाम राजस्व भू–अभिलेख महाल माकन खुर्द में बुधु राम दर्ज हुआ है जो गलत दर्ज हुआ है। इसलिए अभिलेख महाल माकन खुर्द में उसका नाम दरुस्त किया जाए।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22–9–2008 असालतन व वकालतन इस कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे हाजिर होवे तथा अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील लड–भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री आर0 के0 गौतम, स्पैशल मैरीज अधिकारी (एस0डी0एम0) सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

(1) श्री लोकेश मैहता सुपुत्र श्री आर0 के0 मैहता, निवासी क्वार्टर नम्बर E-4/21, बी0बी0एम0बी0 कलौनी सलापड़, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
(2) श्रीमती रीतू रानी सुपुत्री सुभाष चन्दर, निवासी क0 नं0 एस–II-213, बी0बी0एम0बी0 कलौनी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) .. प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 15, स्पैशल मैरीज एक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 22–8–2008 को इस अदालत में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 26–1–2006 को हिन्दु रिती–रिवाज के अनुसार स्थान सलापड़ में शादी कर ली है और तब से पति–पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। इसलिए जेर धारा 15, स्पैशल मैरीज एक्ट, 1954 के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 29–9–2008 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। अन्यथा दीगर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 28–8–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर। आर0 के0 गौतम,
स्पैशल मैरीज अधिकारी (एस0डी0एम0),
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

न्यायालय सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री महेन्द्र सुपुत्र श्री जोगी, निवासी परनौह, इलाका भदतेता, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

विषय : नाम दरुस्ती।

प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना–पत्र इस आशय से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का सही नाम महेन्द्र सिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से भोन्दर दर्ज है। प्रार्थी इसे दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय आकर पैरवी मिति 30–9–2008 को पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 25–8–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

In the court of D. C. Thakur, Assistant Collector IInd Grade, Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P.

Case No.	Date of Institution next	Date of hearing
7/2008	21-8-2008	30-9-2008

In the matter :

Smt. Geeta Devi w/o Sh. Brij Lal, r/o Nalta Sarsehra, Illaqua Suranga, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.). .. *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application for attestation of Mutation of succession of Sh. Hem Raj missing son of applicant in her favour.

Notice :

Where as the applicant has filed an application before this court with the request that her son Sh. Hem Raj s/o Sh. Brij Lal, r/o Nalta Sarsehra, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. is missing from 4th September, 1995 from Solang, Manali during heavy flash flood. His whereabouts have not been known till today from any quarter. Now she believes that he is dead. So she has filed an application for the succession of property of her son in her favour being the natural heir.

It is brought to the notice of general public that if any body has any information regarding live and death of Sh. Hem Raj he/she may file his/her objection before this court on or before 30-9-2008 failing which exparty proceeding will be taken.

Issued under the seal and signature of this court.

Seal.

D. C. Thakur,
Assistant Collector IInd Grade,
Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P.

ब अदालत श्री गोबिन्द राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

Pema Chadon w/o Sh. Buttuk, r/o H. No. 40, Dege Divn. Chauntra, Tehsil Jogindernagar, Distt. Mandi .. *Applicant.*

Vs.

General Public . . *Respondent.*

प्रार्थना–पत्र बराये जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा अदालत हजा में आवेदक ने आवेदन किया है कि उसके बच्चों 1. Sonam Topgyal जन्म तिथि 22–10–1998 पुत्र, 2. Kunga Wangmo जन्म तिथि 3–4–2000 पुत्री, 3. Tashi Namgyal जन्म तिथि 29–3–2005 पुत्र का जन्म ग्राम पंचायत चौंतड़ा में दर्ज न है, को अब पंचायत रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अब इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत चौंतड़ा में दर्ज करने बारा किसी व्यक्ति को उजर हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27–9–2008 को सुबह 10.00 बजे प्रस्तुत करे, अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 26–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गोबिन्द राम ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

सोनम रोपडथ पुत्र श्री पुरा, निवासी तिब्बतियन कालोनी चौंतड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त बराये जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा अदालत हजा में आवेदक ने आवेदन किया है कि उसके बच्चों 1. Mr. Kunga Phuntsok की जन्म तिथि 17–11–1991 पुत्र, 2. Mr. Nagwang Choden की जन्म तिथि 19–1–1996 का जन्म तिब्बतियन कलोनी चौंतड़ा में हुआ है, जो कि पंचायत रिकार्ड में दर्ज न है, को अब पंचायत रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अब इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत चौंतड़ा में दर्ज करने बारा किसी व्यक्ति को उजर हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27–9–2008 को सुबह 10.00 बजे प्रस्तुत करे, अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 26–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

राम प्रकाश सुपुत्र श्री लछमण राम, निवासी मतरू, तहसील जोगिन्दरनगर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त बराये जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा अदालत हजा में आवेदक ने आवेदन किया है कि आवेदक का नाम राम प्रकाश है, जो पंचायत रिकार्ड में सही है व पटवारी कागजात माल में प्रकाशो दर्ज है जो कि गलत है। अतः अब राजस्व रिकार्ड में प्रकाशो की जगह राम प्रकाश नाम दर्ज किया जावे।

अब इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत चौंतड़ा में दर्ज करने बारा किसी व्यक्ति को उजर हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26–9–2008 को सुबह 10.00 बजे प्रस्तुत करे, अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 26–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री गोबिन्द राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

Shendup Dargyal s/o Sh. Tsewang Dondup, r/o H. No. 40, Dege divn. Chauntra, Tehsil Jogindernagar .. *Applicant.*

Vs.

General Public . . *Respondent.*

प्रार्थना–पत्र बराये जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा अदालत हजा में आवेदक ने आवेदन किया है कि उसकी पुत्री सोनम लामो की जन्म तिथि 17–3–1995 है जो कि ग्राम पंचायत चौंतड़ा में दर्ज न है, को अब पंचायत रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अब इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत चौंतड़ा में दर्ज करने बारा किसी व्यक्ति को उजर हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27–9–2008 को सुबह 10.00 बजे प्रस्तुत करे, अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 26–8–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। गोबिन्द राम ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 29*th August*, 2008

No. Home-B(G)4/95-Vol.III.—AND WHEREAS, the Government of India by a resolution dated 21.3.1996 constituted the First National Judicial Pay Commission for the Subordinate Judiciary all over the country under the chairmanship of the Justice Shettty. The Commission submitted its report on 11.11.1999 and the Hon'ble Supreme Court after considering various recommendations made by the Shetty Commission delivered its judgment dated 21.3.2002, in CWP No.1022/1989, accepting the recommendations subject to certain modifications made therein;

AND WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 6.12.2005 while dismissing contempt petition © No.151/2003 in CWP No.1022/1989 had issued directions for release of benefits and allowances to the members of the Subordinate Judiciary as per the Shetty Pay Commission Report subject to the modifications by the Hon'ble Supreme Court;

AND WHEREAS, the matter regarding grant of benefits and allowances to the members of Subordinate Judiciary as directed by the Hon'ble Supreme Court in its order dated 6.12.2005 and 7.2.2006 was given due consideration by the Government;

AND WHEREAS, in suppression of this Department Notification of even number dated 8.8.2008 and in partial modification of even number dated 17.7.2006, the Government have approved the grant of the following benefits/facility/allowances etc. to members of different cadres of H.P. Judicial Service as per the recommendations of Shetty Pay Commission Report and further ordered by the Hon'ble Supreme Court dated 6.12.2005 with effect from 01.11.1999;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the power conferred by section 3 read with section 4 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay allowances and conditions of services) Act. 2003, is pleased to prescribe the following allowances/facilities and benefits to the Judicial Officers w.e.f. 1.11.1999.

1. ELECTRICITY AND WATER CHARGES :

A maximum reimbursement cap of Rs.1500/- p.m. for Distt. Judge/ADJ and Rs.1000/- p.m. for other judges.

2. NEWS PAPER/MAGAZINE :

Two daily news papers (one National & one Regional) and one magazine after producing the original bills.

3. ROBE ALLOWANCE :

Robe allowance @ Rs.5000/- once in five years to the Judicial Officers.

4. CONVEYANCE ALLOWANCE/FACILITY

(i) The District and Sessions Judges, Addl. District and Session Judges and Chief Judicial Magistrate will be provided an independent vehicle.

(ii) In addition there shall be a pooled facility to be maintained in the District by the District Judge/or Chief Judicial Magistrate for other judicial officers. This car pool facility will be available in the ratio of one car for 4 Judicial Officers. If there are less that 4 Officers at a Station, they will be provided a pool car.

(iii) The Judicial Officers irrespective of their posting who have not been given any attached car/pool vehicle and who own a car, shall be given reimbursement for the cost up to 50 Lts. Petrol/diesel per month or equivalent price thereof. This facility would be available only to those judicial Officers irrespective of their posting who do not opt for the car pool facility being maintained in the District Head quarter. The Judicial Officers posted at the District Headquarters and Sub Divisional Courts who do not opt for the car pool and who own a scooter, may be reimbursed expenditure on 25 liters of petrol p.m. or equivalent price.

(iv) The Judicial Officers who own a car/scooter will be given the option to avail the pool vehicle facility or patrol/diesel as aforesaid.

(v) As the number of Officers availing the pool vehicle facility decreases, the excess number of pool vehicles shall be surrendered to the State Government.

(vi) The Judicial Officers may utilize the pool car for their personal requirements when they are not on duty for Court purposes, at a rate of Rs. 3.50 per K.M. This shall be properly arranged and supervised by the Principal District Judge or Controlling Officer.

(vii) The Judicial Officers shall be eligible to avail Motor Car Advance upto Rs. 2,50,000/- at 5% interest rate and repayable in 150 installments.

5. SUMPTUARY ALLOWANCE :

Sumptuary allowance of Rs. 1000/- per month to District Judge and Addl District Judge, Rs. 750/- per month to Civil Judge (Sr. Divn) and Rs. 500/- to Civil Judge (Jr. Divn). No expenditure shall be made on account of entertainment from Office Expenses or other similar object heads like Hospitality .

6. MEDICAL FACILITIES :

The Judicial Officers in every State shall be given the medical benefits that are provided to the Members of the respective State Legislatures, subject to certain modifications herein below mentioned:

(a) The State Government will notify the list of Hospitals/Dispensaries, Government and private, in each city/District Headquarters and Taluka Places for medical treatment of Judicial Officers and members of their family:

(b) The Judicial Officers shall be entitled to claim expenses incurred by them for the medical attendance and the treatment obtained by them nd their family members in such notified Hospitals/Dispensaries. The expenses shall be inclusive of the charges for accommodation in the place where such treatment is taken.

(c) The Judicial Officers shall be entitled to reimbursement of the expenses incurred by them of for their family members for the medical attendance and treatment obtained by them in any place other than in a hospital or dispensary maintained by the State Government and other hospitals or dispensaries notified by the Government, to the same extent as they are entitled to under the rules for reimbursement of expenses incurred by them for medical attendance and treatment obtained in the notified Hospitals or Dispensaries. Expenses shall be inclusive of charges for accommodation.

(d) There shall not be any restriction on reimbursement except to the extent of in patient room entitlement. Further there should not be any ceiling on reimbursement of expenditure on expensive treatments like kidney transplant, open heart surgery etc., full reimbursement of actual expenses shall be allowed.

(e) The Principal District Judge shall be the competent authority for passing the bill for reimbursement of medical attendance and expenses of Judicial Officers under him and in case of District Judges, the High Court shall be the sanctioning authority.

(f) All claims for reimbursement of the expenses incurred by judicial Officers for themselves or for their family members shall be accompanied by an "Essentiality Certificate" issued by the Authorized Medical Attendant with the bills for reimbursement, supported by the prescription and vouchers or case cash memos.

(g) Judicial Officers shall be entitled to advances to meet the medical expenses for treatment upto 80% of the estimate and the balance be paid after approving the bill when it is produced.

(h) All the Judicial Officers shall be entitled to a sum of Rs.100/- P.M. as medical allowance in addition to reimbursement of medical expenses.

7. TRANSFER GRANT AND DISTURBANCE ALLOWANCE:

(I) The Judicial officers shall be entitled for transfer grant and disturbance allowances equal to one month's Basic Pay in case of transfer involving change of station located at a distance more than 20 Kms from each other. In case of transfer to stations which are less than 20 Kms from the old Station or transferred within the same city, the Composite Transfer Grant will be restricted to one third of the Basic Pay, provided a change of residence is actually involved.

(II) This grant shall be exclusive of incidental expenses of the Government servant and the members of his family, and the expenses to go from the residence to Railway Station/Bus Stand/Air Port etc.

8. HOUSING / HOUSE RENT ALLOWANCES AND RELATED ISSUES:

(i) All Judicial Officers irrespective of their cadre, should be provided with rent free Government accommodation according to their entitlement. If adequate Government quarters are not available at a time, the Government shall requisition the proper houses and make them available to the judicial Officers.

(ii) Judicial Officers who occupy their own houses are also entitled to H.R.A.

(iii) The Government quarters/requisitioned house provided to judicial Officers shall have separate space for "Home Library" and the necessary books and the furniture of the Home Library shall be at the cost of the High Court, which shall be administered and managed by the Principal District Judge of the District.

(iv) The Drawing Room of each such quarters/houses shall be reasonably furnished with a sofa set, carpet, teapoy and one or two side tables and chairs at the cost of the High Court/State which shall be administered and managed by the Principal District Judge The upholstery of every sofa-set should be changed once in three years.

(v) The regular maintenance and repairs of Government quarters allotted to judicial officers shall be the obligatory duty of the Public Works Department.

(vi) About 10% of sites/houses, wherever they are available for allocation/allotment by the Housing Board/City Improvement/ Development Authorities etc. shall be ear-marked for allotment to judicial Officers by the State Government

9. TELEPHONE FACILITIES:

Since the judicial Officers were getting the benefit of free calls at the Office and at the residence as per notification dated 06.12.1995, which benefit is saved by the Shetty Commission in Chapter 19, para 19.226 of the report, so the judicial Officers will be getting the facility at the following rates:

Designation	Office	Residence
District Judge	No. limit	No limit
Additional District & Session Judge	No. limit	9000 call P.A.
Civil Judge (Sr. Div.)	No. limit	7500 calls P.A.
Civil Judge (Jr. Div.)	No limit	5000 calls P.A.

10. HILL ALLOWANCE :

The Judicial Officers shall be entitled to Hill Allowance at the rate of Rs.750/- per month

11. ENCASHMENT OF LEAVE AND LEAVE SALARY :

The Judicial Officers shall be allowed to encash leave not exceeding one month in a block period of two years, out of leave earned by the officer in the period. The balance leave shall remain in the credit of the Officer's leave account.

12. CONCURRENT CHARGE ALLOWANCE :

Concurrent charge allowance @ 10% of the minimum of the time scale of additional post held continuously beyond period of 10 working days.

13. SPECIAL PAY :

The Judicial Officers shall be paid the Special Pay at the rate as is recommended by the High Court and as accepted by the State Government.

14. LEAVE TRAVEL CONCESSION/HOME TRAVEL CONCESSION:

(1) The LTC shall be provided to all the Judicial Officers once in four years to any place in India.

(2) For entitlement of first LTC one must have put in not less than 5 years of continuous service.

(3) No. LTC shall be allowed within one year before retirement. 4) All Judicial Officers shall be provided HTC once in two years;

(5) The entitlement for the journey would be according to the Rules in States.

15. ADVANCES :

(i) The Judicial Officers will be entitled to House Building Advance /loan for purchase of House, on conditions as allowed by the Central Govt. and a rebate of ½% in the interest on HBA for undergoing sterilization operation, will also be provided to Judicial Officers.

(ii) The Judicial Officers will be provided a loan facility up to a sum of Rs. 80,000/- or the anticipated price of the computer (excluding customs duty, if any), whichever is less for the purchase of one personal Computer, Laptop Computer on the rate of interest as applicable in the Central Government.

(iii) Other Advances, if any, to the Judicial Officers in regard to matters not specifically covered herein, will be provided on the similar terms and conditions admissible to Central Government Officers.

16. RETIRAL BENEFITS :

(i) The Revised Pension of the Retired Judicial Officers shall be 50% of the pay of the post held as revised from time to time, at the time of retirement.

(ii) The condition of the qualifying service of 33 years for earning full pension will not be applicable to the Judicial Officers.

(iii) The Judicial Officers will not be governed by the C.P.F. Rules.

(iv) All the retired Judicial officers shall be given a fixed monthly medical allowance of Rs.100/-.

(v) All the medical facilities that have been recommended to serving Judicial Officers with regard to treatment and reimbursement of expenditure etc., shall be applicable to retired Judicial Officers.

(vi) The medical reimbursement bills submitted by the retired Judicial officers shall be processed and paid by the office of the Principal District Judge of the place where the retiree has opted to settle.

(vii) The retired Judicial officer retiring shall be entitled for reimbursement of domestic help @ Rs.1250/- P.M. w.e.f. 1.11.99. A retired Judicial Officer shall be entitled for the re-imbursement only in case such Judicial officer has served at least for five years.

17. ADDITIONAL INCREMENTS:

The Judicial Officers having a higher qualification like Post- Graduation in Law shall be given three advance increments.

Provided that if at any time it is found that the Judicial Officer has been granted any benefit/facility/allowance which is not admissible to the judicial Officers as per recommendations of Shetty Pay Commission Report as accepted by the Hon'ble Supreme in All India Judges Association and others Vs. Union of India and others, and Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 and rules framed thereunder, the State Government reserve its right to withdraw such benefit/facility/allowance and affect recovery from the concerned Judicial Officer.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला––171009, 25 अगस्त, 2008

संख्या 7–62 / 2007–ई0एक्स0एन0–225–49–95.––प्रथम नवम्बर, 1996 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गये क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डज, 1965 द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, आर0 डी0 धीमान, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात् ''उक्त रूल्ज'' कहा गया है) में तुरन्त प्रभाव से और संशोधन करता हूं:––

संशोधन

1. Clause *(ii)* of Rule 19-A shall be substituted by the following, namely:—

(ii) "He should be a registered dealer under the H. P. G. S. T. Act, 1968/H. P. Vat Act, 2005 for a period not less than five years and should have the gross turn over of Rs. 50 lacs per annum and must be paying tax not less than Rs. 15,000/- per annum:

Provided that the person shall become eligible for grant of license as and when his turnover exceeds Rs. One Crore in any financial year and the condition of registration for minimum of 5 years shall not apply in his case".

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
आबकारी एवं कराधान आयुक्त।

————————

[Authoritative English Text of Excise &Taxation Department Notification No. 7-62/2007-EXN-225-49 Dated 25th 2008, as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 25th August, 2008

No. 7-62/2007-EXN-225-49-95.—In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), as in force in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the Territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organisation Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred

on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Power and Appeal) Orders, 1965, I, R. D. Dhiman, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with immediate effect:—

AMENDMENT

1. Clause *(ii)* of Rule 19-A shall be substituted by the following, namely:—

(ii) "He should be a registered dealer under the H. P. G. S. T. Act, 1968/ H. P. Vat Act, 2005 for a period not less than five years and should have the gross turnover of Rs. 50 lacs per annum and must be paying tax not less than Rs. 15,000/- per annum:

Provided that the person shall become eligible for grant of license as and when his turnover exceeds Rs. One Crore in any financial year and the condition of registration for minimum of 5 years shall not apply in his case".

By order,
Sd/-
Excise &Taxation Commissioner.

कार्मिक विभाग (नियुक्ति–II)

अधिसूचना

शिमला–2, 2 सितम्बर, 2008

संख्याः पर(एपी–बी)बी(18)–1 / 2006.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसीज़ (प्रीमैच्योर रिटायरमैन्ट) रूल्ज़, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसीज़ (प्रीमैच्योर रिटायरमैन्ट) (छठा सेशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **नियम 3 के उपनियम (2) के तृतीय परन्तुक का लोप.**––हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसीज़ (प्रीमैच्योर रिटायरमैन्ट) रूल्ज़, 1976 के नियम 3 के उपनियम (2) के तृतीय परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,
आशा स्वरूप,
मुख्य सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No.Per(AP-B)B(18)-1/2006 dated 02.09.2008 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

PERSONNEL DEPARTMENT (Appointment-II)

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 2*nd September*, 2008

No. Per(AP-B)B(18)-1/2006.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Civil Services (Premature Retirement) Rules, 1976, namely:—

1. *Short title and Commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Civil Services (Premature Retirement) (Sixth-Amendment) Rules, 2008.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Deletion of third proviso to sub rule (2) of rule 3.*—In the Himachal Pradesh Civil Services (Premature Retirement) Rules, 1976, third proviso to sub rule (2) of rule 3 shall be deleted.

By order,
Asha Swarup,
Chief Secretary.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 2008

संख्या सिंचाई 11–164 / 2007–कांगड़ा.––यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा मलकान तहसील इनदौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा–4 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टेयरों में
कांगड़ा	इन्दौरा	मलकाना	297 / 1	0–01–62
			298	0–01–75
			1376 / 1 / 1	0–01–36
			299 / 1	0–01–93
			किता–4	0–06–66 है0

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla– 171004, the 5th September, 2008

No. V.S.- Legn.-Pre /1-21/2008.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die with effect from the close of its sitting held on the 5th September, 2008.

By order,
GOVERDHAN SINGH,
Secretary.

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–171004, 5 सितम्बर, 2008

संख्याः वि0स0–विधायन–प्रा0 / 1–21 / 2008.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा 5 सितम्बर, 2008 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित